

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8/10/08

क्रमांक एफ 1-101/2008/20-1 : राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम 2001 एवं संशोधित नियम 2003 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम 2001 एवं संशोधित नियम 2003 के तहत नियुक्त ऐसे संविदा शाला शिक्षक जिनके द्वारा शिक्षण-प्रशिक्षण की योग्यता

प्राप्त नहीं की है तथा यदि वे जुलाई 2011 तक शिक्षण-प्रशिक्षण (यथास्थिति जी.एड./बी.एड.) उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त कर लेते हैं, तो अध्यापक संवर्ग में उनकी नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

1. अध्यापक संवर्ग में इनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.07 से ही मान्य होगी तथा इनकी वरीयता सुरक्षित रखी जाएगी।

2. अध्यापक संवर्ग में इनकी नियुक्ति होने पर इन्हें दिनांक 01.04.07 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने तक की अवधि हेतु वार्षिक देतनवृद्धियां प्रदाय की जाएगी, किन्तु इन्हें एरियर्स की पात्रता नहीं होगी।



(आर.आर.एस. मराठी)

अवर सचिव


म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा
विभाग

वृत्त में
अध्यापक संवर्ग में
नियुक्ति के संबंध में
कार्यवाही के संबंध में
उत्तर
नेट पर है।
10/10/08

पृष्ठ क्रमांक एफ 1-101/2008/20-1

भोपाल, दिनांक 2/10/08

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मान.स्कूल शिक्षा मंत्री/राज्य मंत्री, म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भण्डार भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
9. रागरत जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. समरत आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश।
11. समरत संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय, म.प्र.।
12. समरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
13. रागरत जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।
14. समरत जिला परियोजना सन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
15. रागरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
16. रागरत मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश।



अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा
विभाग